



नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांक :- एक 13 () उपा.आयो.प्रथम/नजिल/2024/825

दिनांक:- 29/01/2024

श्री ओमप्रकाश, श्री विजयप्रकाश, श्री चन्द्रप्रकाश,
श्री निखिल, श्री आलोक, श्री अशोक, श्री शशिमोहन, श्री पंकज,
श्री कुणाल कौशिक एवं श्रीमती सुशीला, श्रीमती उर्मिला,
श्रीमती देवयानी, श्रीमती सीमा, श्रीमती शिवानी कौशिक,
(जरिये मुख्यालय आम मैसर्स स्टार डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री ताराचन्द चौधरी)
भू.सं. डी-40, बनीपार्क, जयपुर

विषय:- भू.सं. डी-40, बनीपार्क, जयपुर की आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र क्षेत्रफल 4009.85 वर्ग मी. (3352.74 वर्ग मी.) के क्रम में एम्पावर्ड सभिति के निर्णय दिनांक 02.01.2024 की अनुपालना में एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार बी1 + बी2 + एस + 12 तल कुल ऊँचाई 0.6 मी. प्लान्थ + स्टील्ट 4.5 मी. + 34.80 मी. आवासीय भवन निर्माण मानचित्र निर्मांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैं :-

- उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के तहत जारी की गई है।
- भवन विनियम, 2020 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से 07 वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
- उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :-

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्रानुसार
अग्र	16.76 मी. (55' 0")
साईड प्रथम	9.00 मी.
साईड द्वितीय	9.00 मी.
पीछे	9.00 मी.
ऊँचाई	0.6 मी. प्लान्थ + स्टील्ट 4.5 मी. + 34.80 मी.
मंजिल	बी1 + बी2 + एस + 12 तल
बेसमेन्ट	प्रस्तावित है
अच्छादन	33.68 %
बी.ए.आर.	4.36

- नगर निगम जयपुर, हैरिटेज द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए नगर निगम जयपुर, हैरिटेज जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर जो निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
- भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोक जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जायेगा।
- भवन विनियम 2020 के अनुसार मानचित्रों में स्वीकृत से भिन्न ऐसी उपयोग में कोई गतिविधियां नहीं करेंगे जो आस-पास के निवासीयों के लिए हानिकारक हों।
- भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- प्रस्तावित स्वीकृति में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम जयपुर, हैरिटेज राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
- विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
- अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण युनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जायेगी।
- अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जायेगा।
- भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।

Signature

13. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
14. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
15. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज विना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेंगे।
16. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
17. वेसमेन्ट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग में नहीं करेगा।
18. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) निर्माण स्थल पर चर्चा कर प्रदर्शित करेगे साथ ही मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जायेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
19. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
20. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एक 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/ 05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
21. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावे।
22. Rera Act. एवं Rules, Apartment Ownership Act एवं Rules के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
23. भवन विनियम-2020 व समय-समय पर संशोधित विनियम अनुसार प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
24. भवन मानचित्र स्वीकृति में यदि देय राशि अथवा गणना में त्रुटि रहती है तो आवेदक भविष्य में जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

संलग्न- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 10 मानचित्र)


उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ-

1. उपायुक्त, सिविल लाईन, जोन नगर निगम जयपुर, हैरिटेज को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
- संलग्न :- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 10 मानचित्र)

56.

उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

AREA CALCULATION

PLOT AREA = 3352.74 SQ.MT. (4009.85 SQ.YDS.)
STANDARD B.A.R. = 3352.74 X 2.00 = 6705.48 SQ.MT.
ACHIEVED B.A.R. = 14614.96 SQ.MT. (4.36)
GROUND COVERAGE PERMISSIBLE = 3352.74 X 0.40 = 1341.10 SQ.MT. (40%)
LANDSCAPE AREA REQUIRED = 1129.32 SQ.MT. (33.68%)
LANDSCAPE AREA ACHIEVED = 514.70 SQ.MT. (15.35%)
ACHIEVED HEIGHT = PLINTH(0.60) + STILL(1.45) + 34.80 M. (TOTAL 39.90M.)

AREA CALCULATION TABLE

S.NO.	FLOORS	GROSS BUILT UP AREA (SQ.M.)	NET BUILT UP AREA (SQ.M.)	LTB (SQ.M.)	SERVICE SHAFT (SQ.M.)	B.A.R. (SQ.M.)	NO. OF PLATS
01.	BASEMENT-1	1797.97	1797.97	-	-	1797.97	13.02
02.	BASEMENT-2	1797.97	1797.97	-	-	1797.97	13.02
03.	STILT	1354.17	15.79	1338.38	-	1354.17	303.20
04.	OTHER WORKING	193.87	-	193.87	-	193.87	-
05.	FIRST	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
06.	SECOND	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
07.	THIRD	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
08.	FOURTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
09.	FIFTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
10.	SIXTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
11.	SEVENTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
12.	EIGHTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
13.	NINTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
14.	TENTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
15.	ELEVENTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
16.	TWELFTH	1215.05	15.79	1199.26	13.02	1215.05	1184.37
17.	TERRACE	248.36	-	248.36	-	248.36	-
TOTAL		19972.94	205.27	19691.44	195.30	22.44	14614.96

TOTAL ACHIEVED B.A.R. = 14614.96 SQ.MT. (4.36)
COMMON FACILITIES AREA PERMISSIBLE 2% (MAX.) = 14614.96 X 0.02 = 292.30 SQ.MT.
COMMON FACILITIES AREA ACHIEVED = 193.73 SQ.MT. (1.32%)
COMMON AMENITIES AREA PERMISSIBLE 5% (MAX.) = 14614.96 X 0.05 = 730.74 SQ.MT.
COMMON AMENITIES AREA ACHIEVED = 279.35 SQ.MT. (1.91%)
1. D.G. TRANSFORMER = 59.22 SQ.MT.
2. GUARD ROOM = 13.74 SQ.MT.
3. UNDER GROUND WATER TANK = 65.16 SQ.MT.
4. S.T.P. = 55.75 SQ.MT.
TOTAL AREA = 59.22+13.74+65.16+55.75 = 193.87 SQ.MT.
PARKING CALCULATIONS:-
RESIDENTIAL PARKING = 14614.96 = 127.08 E.C.U.
+ 10% EXTRA VISITOR PARKING = 12.70 E.C.U.
TOTAL REQUIRED E.C.U. = 127.08+12.70 = 139.78 E.C.U. SAY 140 E.C.U.
MIN. 75 % CAR PARKING REQ. = 140 X 0.75 = 105.00 E.C.U.
25 % SCOOTER PARKING = 140 X 0.25 = 35.00 E.C.U. (105.00 SCOOTER)
10 % E.V. PARKING REQ. = 140 X 0.10 = 14.00 E.C.U.
PARKING PROVIDED

S.NO.	FLOORS	CARS	SCOOTERS
1.	BASEMENT-2	40	07
2.	BASEMENT-1	34	06
3.	STILT OPEN	48	-
4.	STILT COVERED	24(11+11)	15
TOTAL		146	27

PROVIDED E.V. PARKING = 14.00 E.C.U.
TOTAL PROVIDED PARKING = 146 + 09 (27 SCOOTERS) = 155 E.C.U.

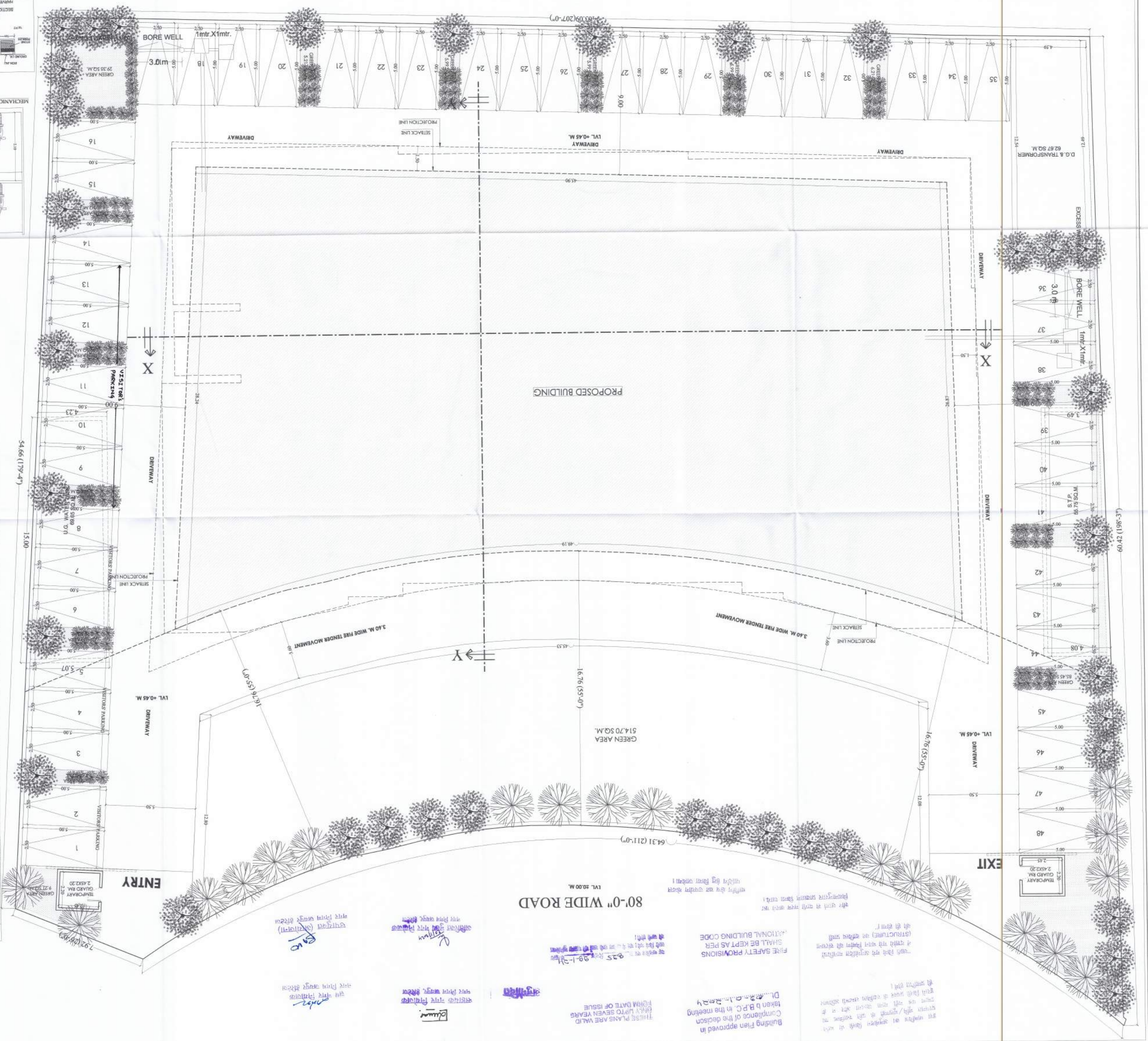
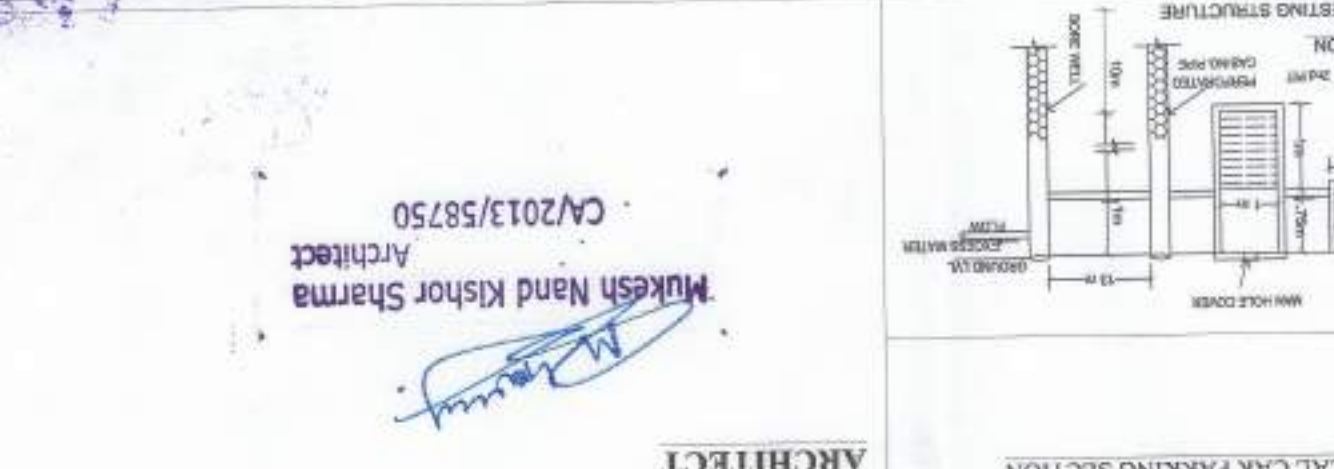
DRAWING TITLE :-
SITE PLAN & AREA CALCULATION

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME,
JAIPUR

SCALE :-
1:100
NORTH :-

OWNER :-
For STAR DEVELOPERS

ARCHITECT :-
Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



These plans are valid from date of issue only upto seven years.
Building Plan approved in compliance of the decision taken by B.P.C. in the meeting dated 22.01.2024.
Fire safety provisions shall be kept as per (structure) as given with the plan in which the fire tender movement is given.

SHEET NO.- 2

BASEMENT-2 FLOOR PLAN

यह नक्शा नगरपालिकाको निर्देशनमा तयार पारिएको छ। यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken by B.P.O. in the meeting
Dt. 02.01.2024

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

THESE PLANS ARE VALID
FOR 11 TO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

यस नक्शाको आधारमा निर्माण कार्य गर्दा नगरपालिकाको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ।

DRAWING TITLE :-

BASEMENT-2 FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME,
JAIPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-



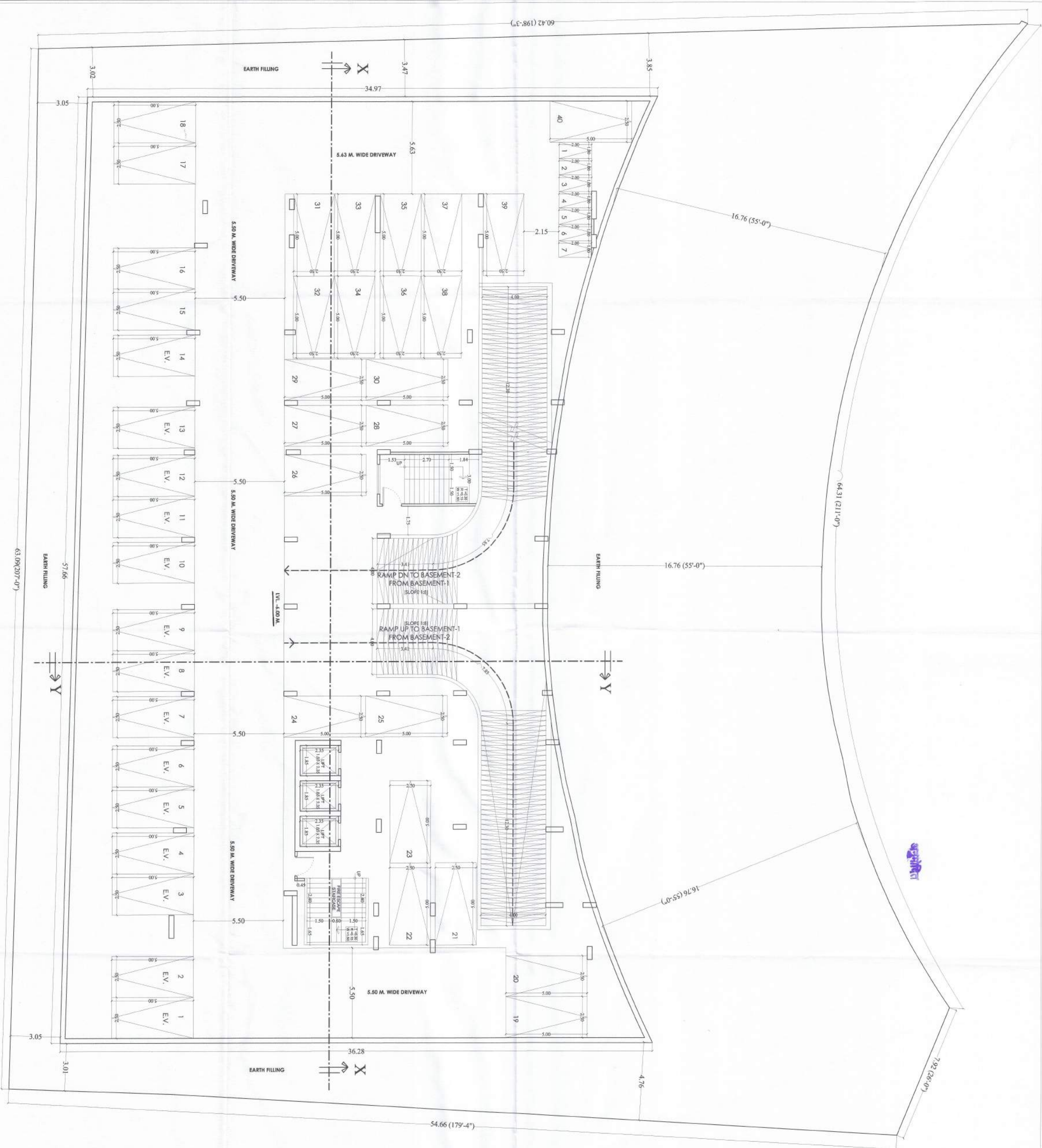
OWNER

For STAR DEVELOPERS

PARTNER

ARCHITECT

Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



BASEMENT-1 FLOOR PLAN

हम एकत्रित हो अभिमान विधि से नहीं
 बनाएंगे हमें/मुझसे जो भी एकदिवस का
 प्रमाण बन सके हमी का वह अर्थ न हो
 बसने निमित्त प्रार्थना, एकत्रित होकर
 प्रमाण हो सके।

Building Fund approved in
Conference of the decision
taken by B.F.C. at the meeting
Dated 2.1.1932

जगदी किसे मये अनुमोदित मानाविना
 ये दुराधिक मये भवन कागज की लक्षणना
 (SIRUPUR) का मये दुराधिक
 को ही होगा।"

झार उर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार भावधान किया जाये।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

FIRE SAFETY PROVISIONS:
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

सह भगवत्प्रेम पर कं. २२५
बारी किये गये। पर मे कलिकल सगी सवरी की प्रसन्नता सुनिश्चिता
है जगनी होनी।

संक्षिप्त क्षेत्र का उपयोग केवल
"संक्षिप्त क्षेत्र" किया जाएगा।

सहायक नगर नियोजक
नगर निगा जगपुर, हैरिदेन

सम नगर निगमक
नगर निगम जयपुर हेडिक्व

अतिरिक्त मुद्राभार निरोधक
नगर निगम प्रमुख, हैदराबाद

उपायुक्त (आवृत्ति)
कम निम्न (आवृत्ति)

DRAWING TITLE :-

BASEMENT-1 FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME,
JAIPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-

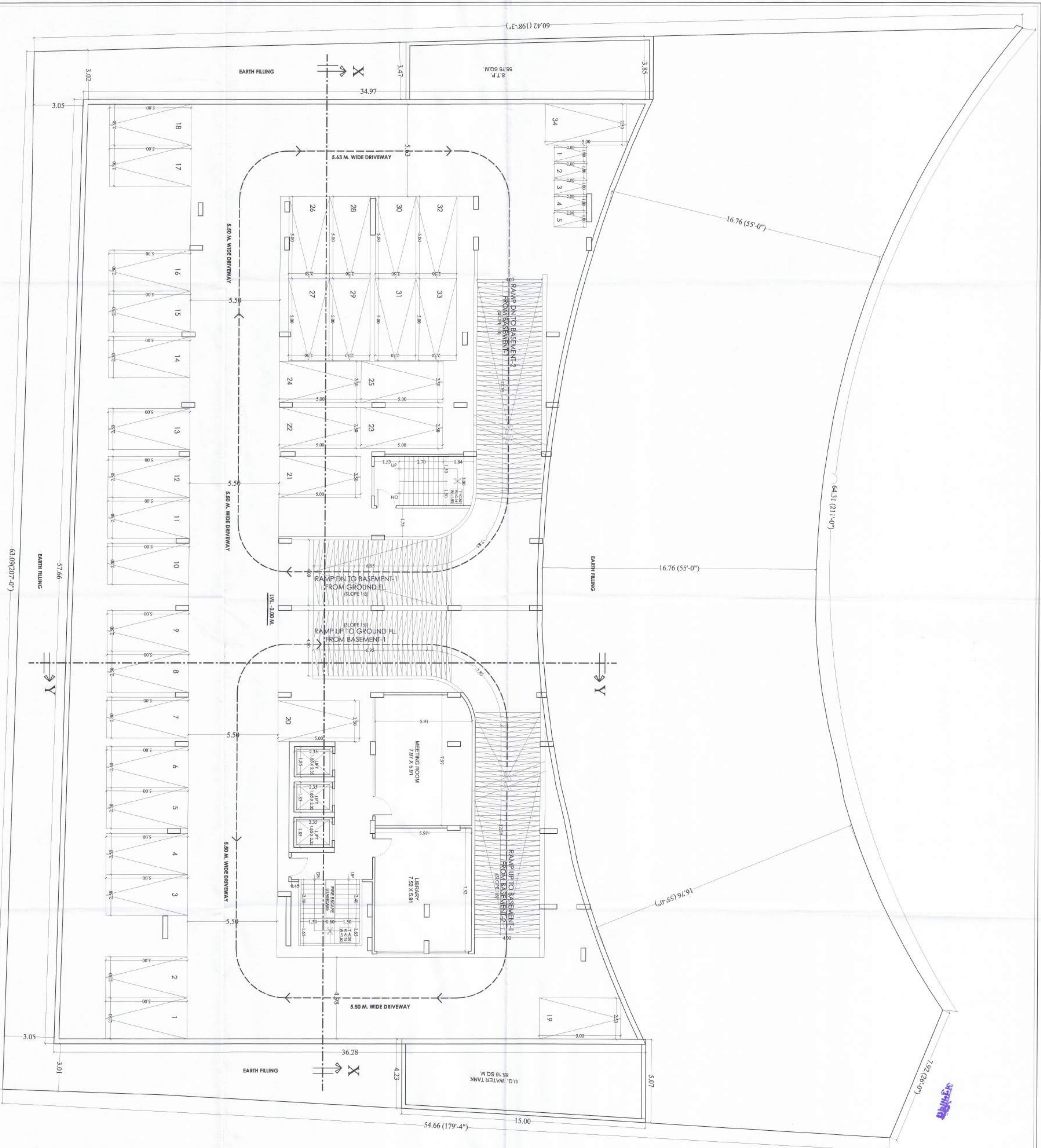
OWNER

FOR STAR DEVELOPERS

FOR DEVELOPERS
FARNER

ARCHITECT


Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



SHEET NO.- 4

STILT FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी अन्य
प्रमाण पत्र/प्लान/ड्राइंग के बिना स्वामित्व के
प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और इस में
इसमें किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण समझने की
शुभांशा है।

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN
FORM DATE OF ISSUE

"जहाँ किसी भी अनुमोदित मानचित्रों
में दस्तावे में मूल निर्माण की संख्या
(STRUCTURE) का परिचित प्रतीक
की हो होगा।"

सर्वे ड्राइंग से पत्ती मरम करने में
निम्नलिखित प्रमाणित किया गया।

प्राधिकृत क्षेत्र का उपयोग केवल
प्राधिकृत क्षेत्र किया जाएगा।

क. कर्तव्य पत्र नं. ०२२२ दिनांक २०/०७/२०२४
वही क्षेत्र को इस प्रमाणित क्षेत्र के रूप में
की जा रही है।

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken B.B.P.C. in the meeting
D.....०२.०२.०२.....

अभिषेक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, इंदिरा

उप नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, इंदिरा

अभिषेक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, इंदिरा

उप नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, इंदिरा

DRAWING TITLE :-

STILT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E- SCHEME,
JAPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-

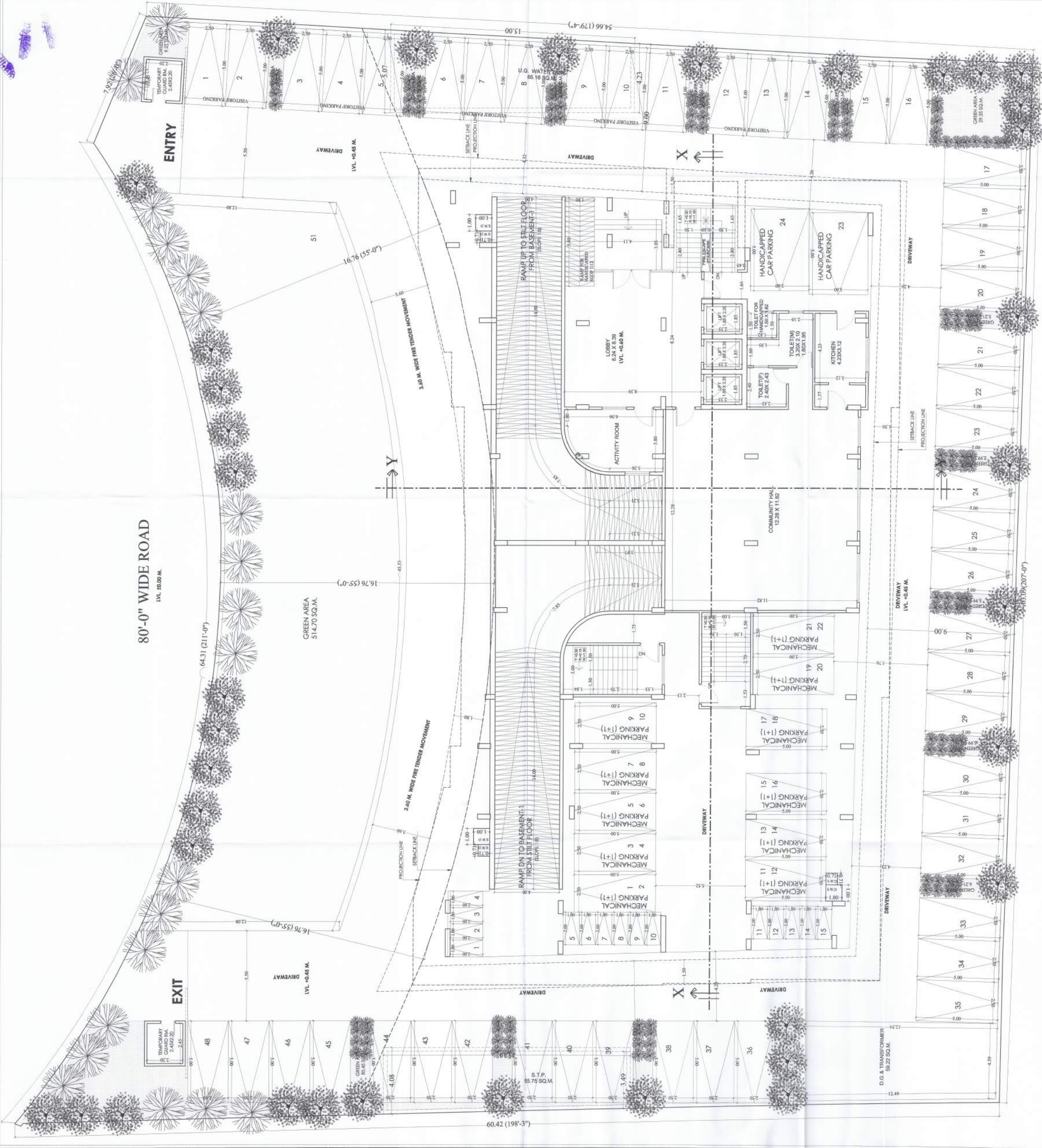


OWNER

For STAR DEVELOPERS
PAPER

ARCHITECT

Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



FIRST FLOOR PLAN

इस समिति का अध्यक्ष है श्री मोहन प्रसाद मुखर्जी, अध्यक्ष का पद धारण करने वाले श्री जयदीप शर्मा और श्री इंदर सिंह हैं। इसके अलावा समिती अध्यक्ष हैं।

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मानकियों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी की ही होगा।"

सौर उर्जा से पानी गरम करके सा
नियमानुसार प्राक्धान किया जावे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

यह समझिय पत्र कि ६४६ दि. २३-०२-२१ द्वारा
जारी किये गये। पत्र में आँका सभी छात्रों को पाल्ना मुनिका
की जानी होगी।

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken b B.P.C. in the meeting
Dt. 02-01-2024

Answer:

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम बयपुर, हरिद्वार

उप-नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हरिदेव

अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम जयपुर हैरिद्वार

DRAWING TITLE :-

FIRST FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME,
JAIPUR

SCALE :-

1:100

OWNER

NORTH :-

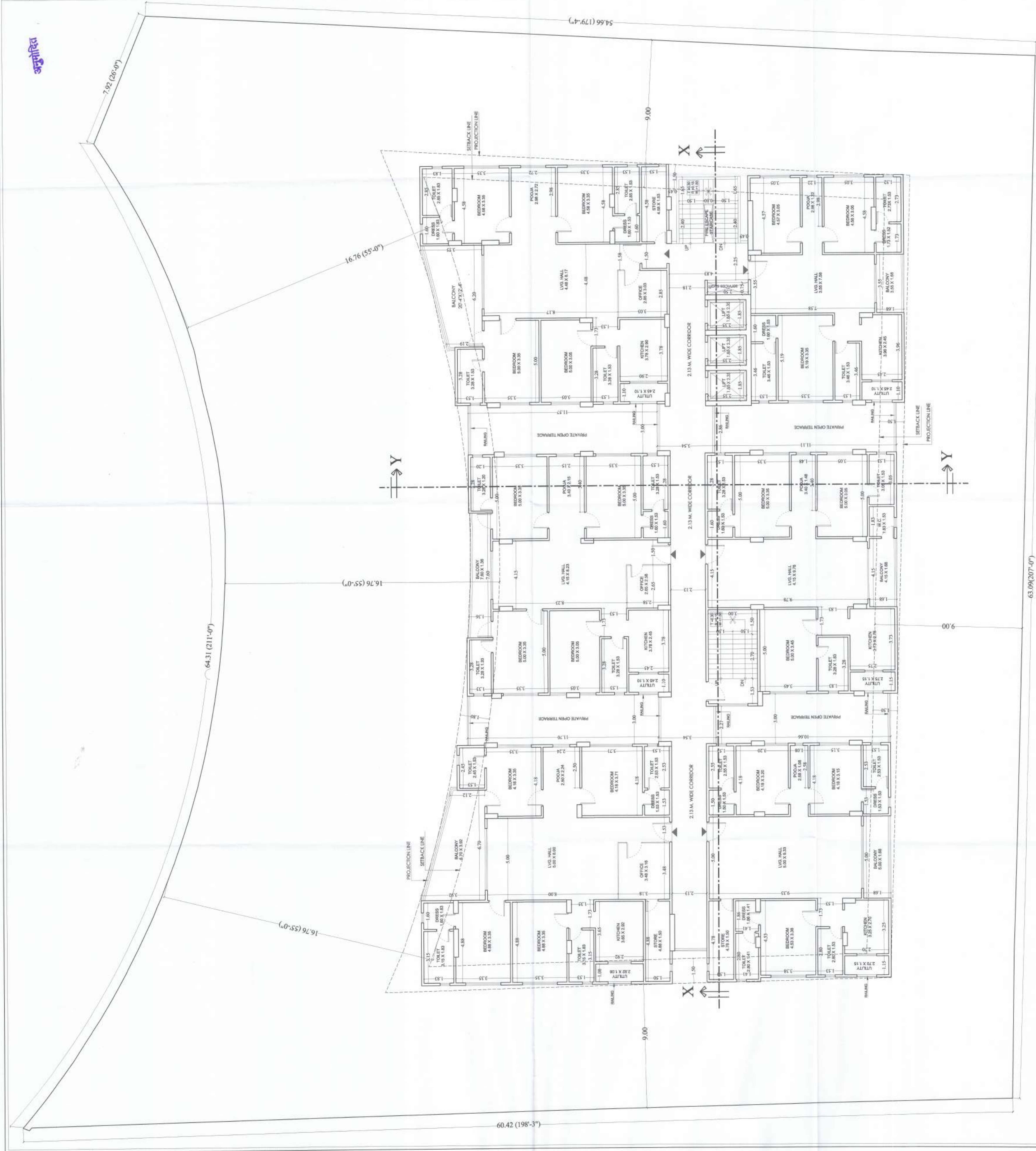


For

SENIOR PARTNER

ARCHITECT

Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



TYPICAL FLOOR PLAN
(2nd TO 11th FLOOR PLAN)

इस मानचित्र का अनुसूचन किसी भी भाति प्रसारित भूगोल/भूखण्डों के प्रति स्पष्टता का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी प्रकार के दवाबित सम्बन्धी अधिकार ही प्रमाणित होंगे।

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

“जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राणी की ही होगा”

सौर उर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान विद्यमान है।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग योजना
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

इस मन्त्रि पत्र का पत्र सं. २२५ दिनांक १०-११-७६ द्वारा
प्राप्त किया गया। पत्र में उल्लिखित सभी कार्यों की माला सुनिश्चित
की जाती होगी।

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken b B.P.C. in the meeting
Dt.....02-01-2024

Answer

सहायक नगर नियोजक
नियम व्यवस्था, हरियाणा

उप नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर हरिदेव

स्वातिरिक्त मुख्यमंत्री नियोजक
स्वातिरिक्त मुख्यमंत्री नियोजक

Q.10
उपायुक्त (आयोजना)
जगर निगम जयपुर होस्टेल

DRAWING TITLE :-

LE:- TYPICAL FLOOR PLAN
(2nd TO 11th FLOOR PLAN)

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME,
JAIPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-

OWNER

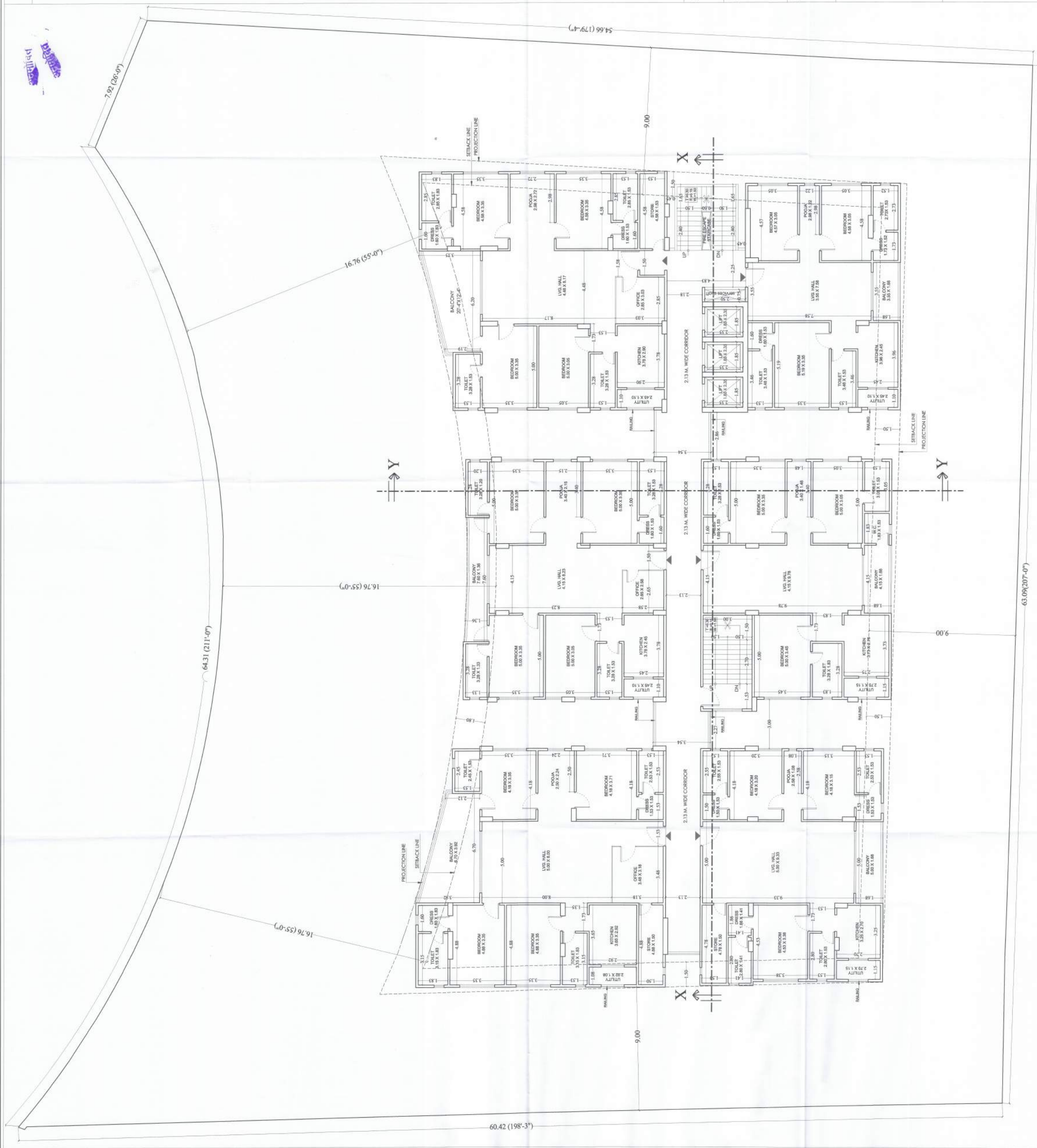
For

[Signature]

ARCHITECT

Mukesh Nand Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750

63.09(207'-0")



TWELFTH FLOOR PLAN

इस मॉडलिंग का उपयोग किसी भी भवन प्रकल्प में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल इसी भवन के लिए किया जा सकता है।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदन पत्रिकाओं में दस्तावेजों में त्रुटि मिलने की संभावना को ध्यान में रखा गया है।"

वीर उपाय से पानी प्राप्त करने का नियमनुसार प्रबंधन किया जायेगा।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

यह प्लान नं. 2825 दिनांक 25.01.2014 को जारी किया गया है। यह प्लान नं. 2825 को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken b B.P.C. in the meeting D.....28.01.2014: 28.2.14

सहायक नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, रीस्टेड

उप नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, रीस्टेड

अतिरिक्त नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, रीस्टेड

उपायुक्त (अतिरिक्त) नगर निगम जयपुर, रीस्टेड

DRAWING TITLE :-

TWELFTH FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-SCHEME, JAIPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-



OWNER

For STAR DEVELOPERS

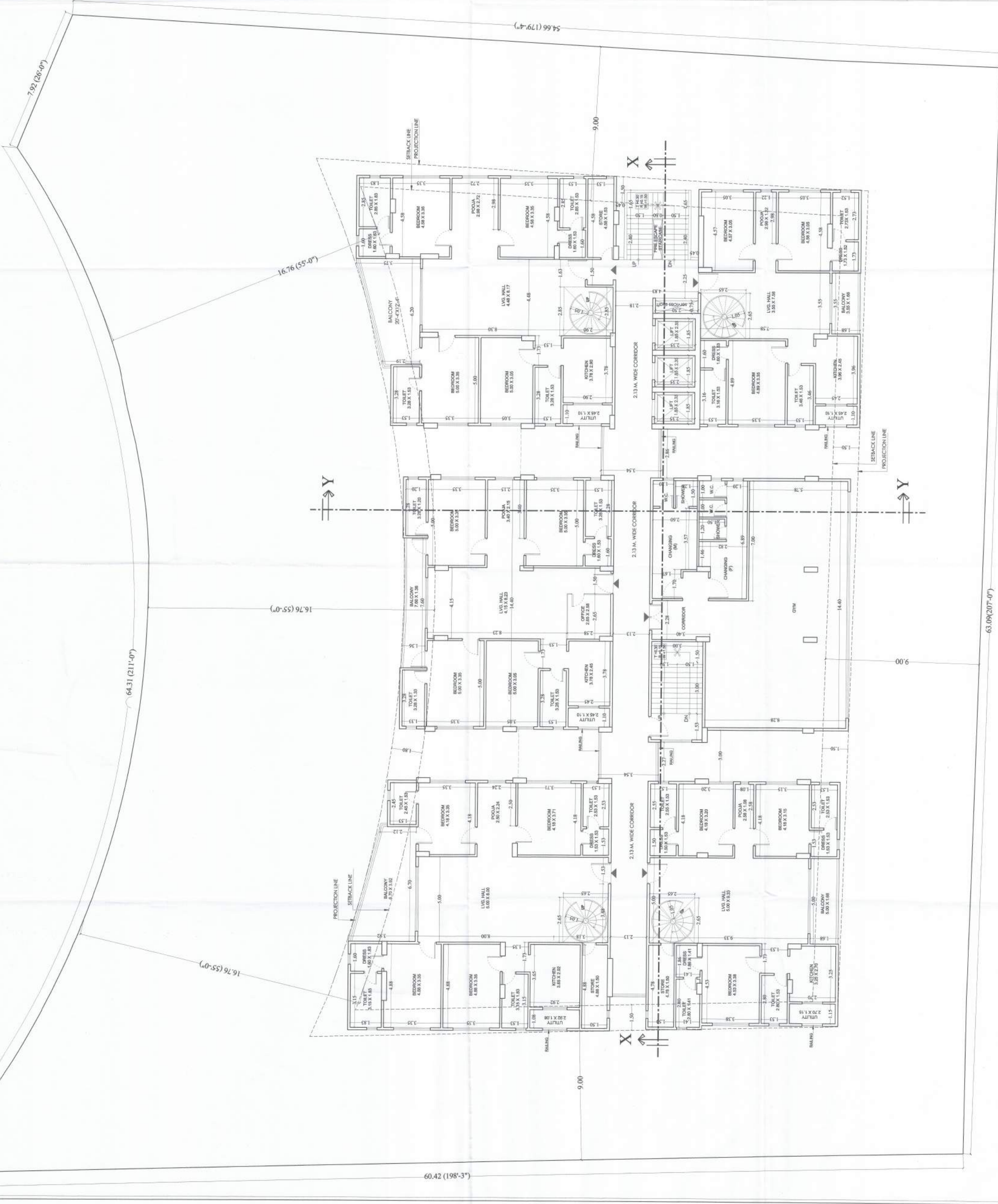
PARTNER

ARCHITECT

Mukesh Mand Kishor Sharma

Architect

CA/2013/58750



SHEET NO.- 8

TERRACE FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन सिविल अभियंता के द्वारा किया गया है। इस मानचित्र का प्रयोग केवल इसी मानचित्र के लिए ही किया जा सकता है। इस मानचित्र के प्रयोग के लिए इस मानचित्र के साथ ही प्रमाणित होना।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID ONLY UP TO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE

"जहाँ लिखा है, उसे अनुमोदित मानचित्र में दर्शाया गया है। (STRUCTURE) का चिह्नित प्रतीक है।

यदि इस मानचित्र से किसी मालिक को नुकसान हो, तो यह मानचित्र के प्रयोग के लिए ही है।

मानचित्र केवल एक उपयोग के लिए ही है।

यदि इस मानचित्र से किसी मालिक को नुकसान हो, तो यह मानचित्र के प्रयोग के लिए ही है।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken b.B.P.C. in the meeting Dt. 02.06.2024

अनुमोदित

सिद्धिमान नगर निगम के द्वारा मानचित्र के प्रयोग के लिए ही है।

सिद्धिमान नगर निगम के द्वारा मानचित्र के प्रयोग के लिए ही है।

DRAWING TITLE :-

TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. D-40, BANIPARK, E- SCHEME, JAIPUR

SCALE :-

1:100

NORTH :-

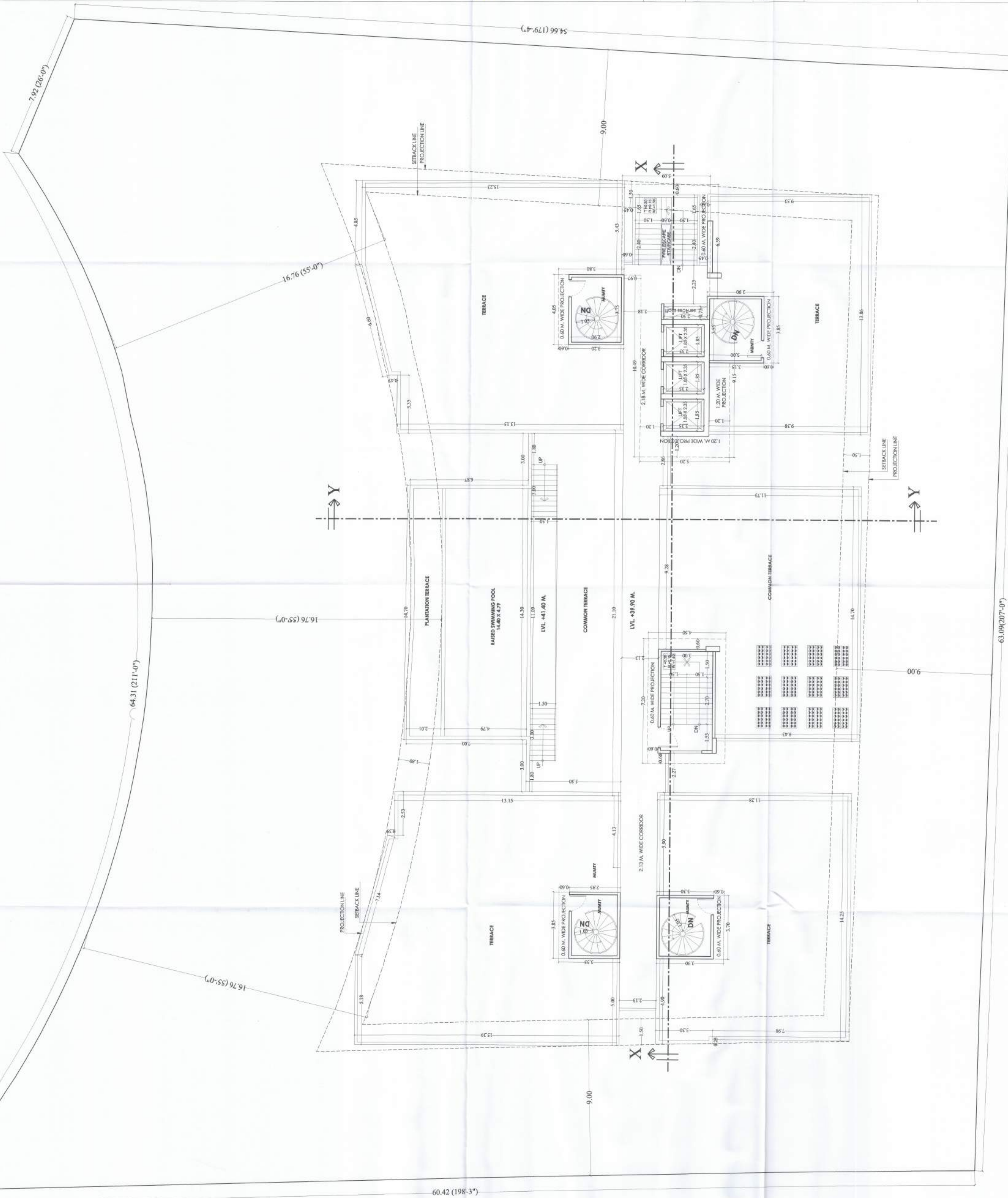


OWNER

For STAR DEVELOPERS PARTNER

ARCHITECT

Mukesh Nand Kishor Sharma Architect CA/2013/58750



ELEVATIONS

इस प्रमाणिका का उपयोग किसी भी तरह से
अनधिकृत रूप से नहीं किया जा सकता है।
इसमें किसी प्रकार की बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

"किसी भी भी निर्माण कार्य के लिए
में दस्तावेज में दिए गए निर्माण की योजना
(STRUCTURE) का पालना नहीं किया जा सकता।"

सभी चरों में सही रूप में
निर्माण कार्य किया जाये।

परिचित लोग का उपयोग नहीं
किया जाये।

किसी भी भी निर्माण कार्य के लिए
में दस्तावेज में दिए गए निर्माण की योजना
(STRUCTURE) का पालना नहीं किया जा सकता।

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken in B.P.C. in the meeting
On 02.02.2024

Signature

अधिकृत रूप से जारी किया गया
नगर निगम का पत्र संख्या 100/2024

सभी चरों में सही रूप में
निर्माण कार्य किया जाये।

अधिकृत रूप से जारी किया गया
नगर निगम का पत्र संख्या 100/2024

अधिकृत रूप से जारी किया गया
नगर निगम का पत्र संख्या 100/2024

DRAWING TITLE:-

ELEVATIONS

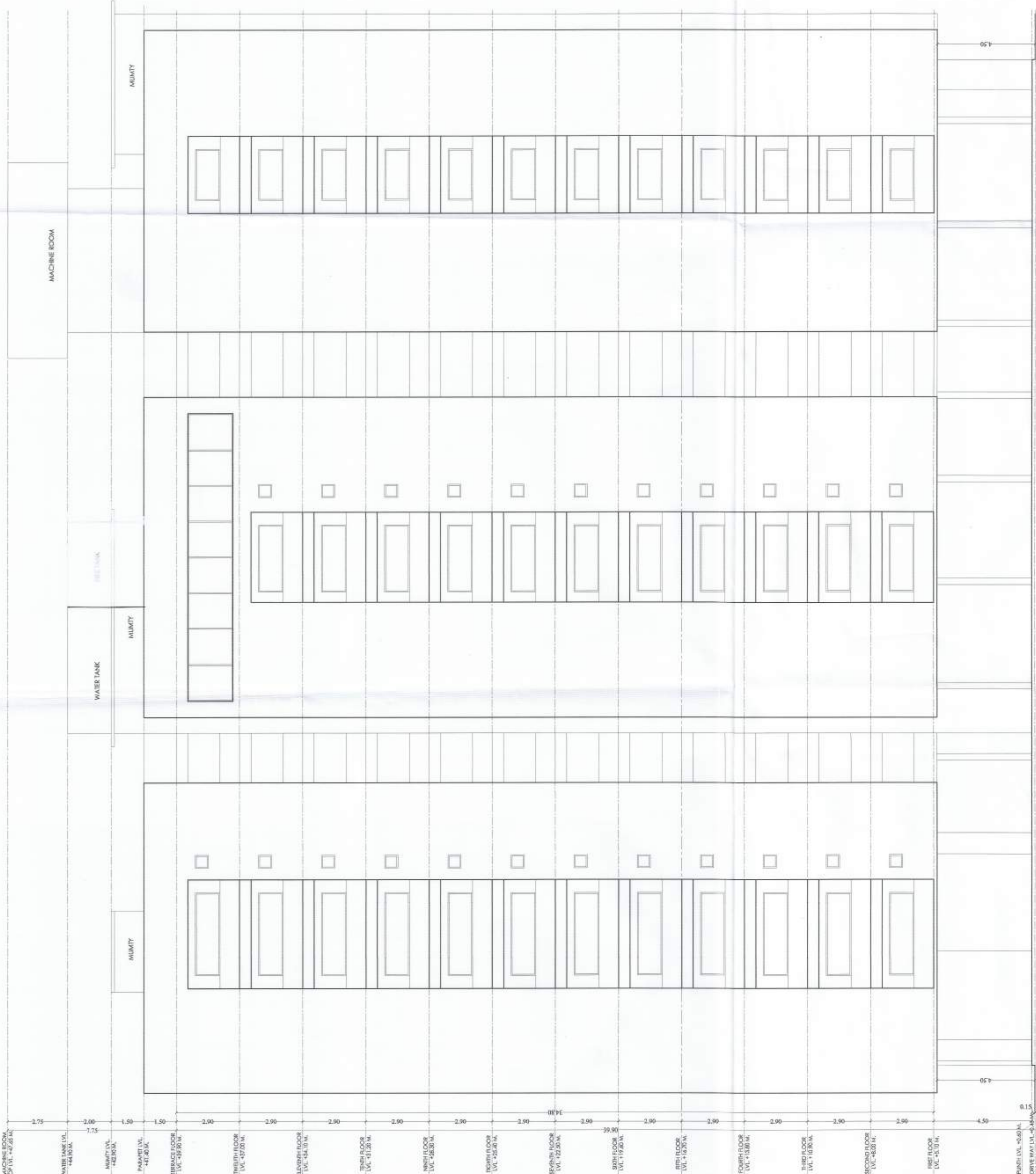
PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. D-40, BANIPARK, E-Scheme,
JAIPUR

SCALE:-
NORTH:-
1:100

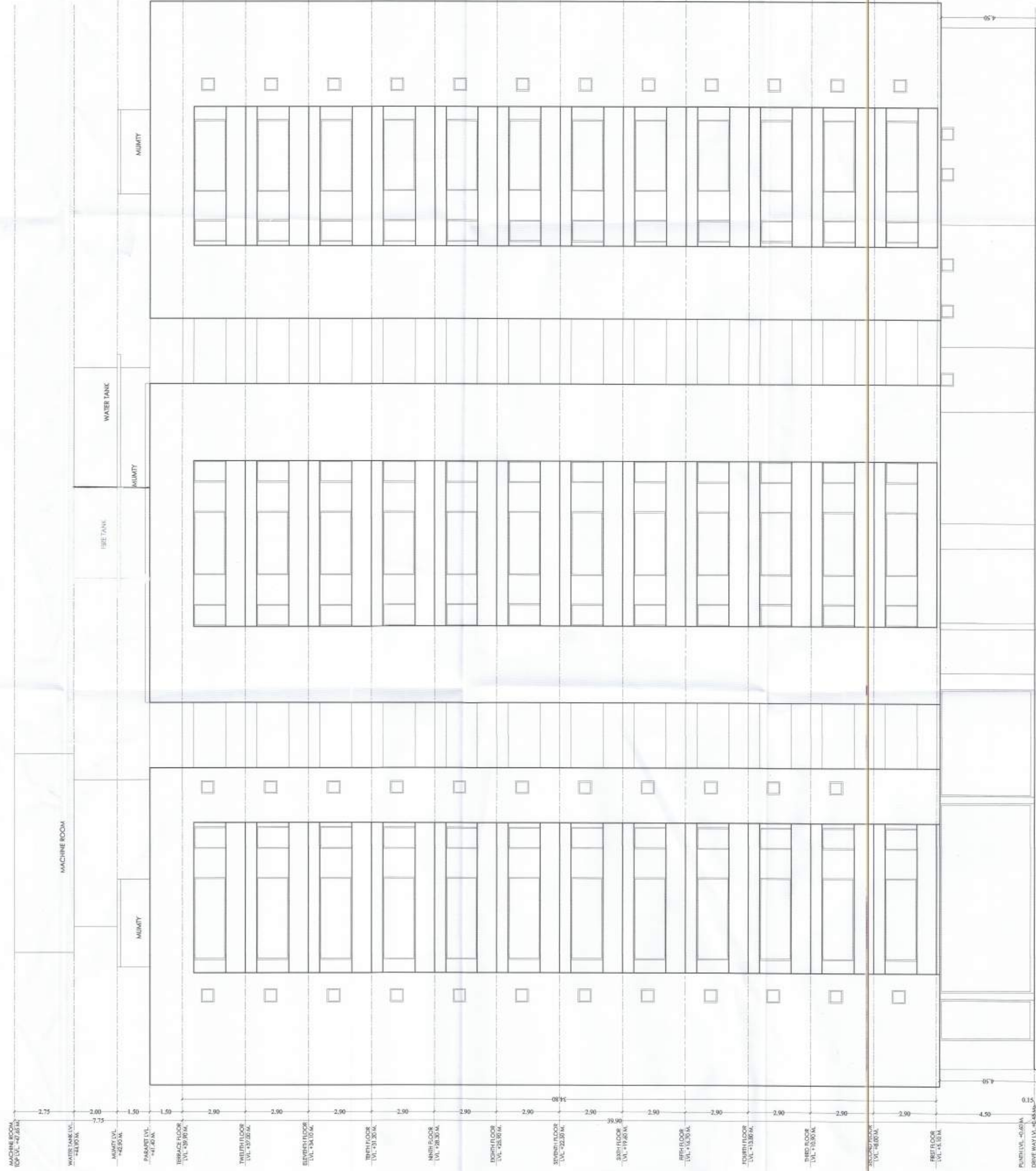
OWNER

ARCHITECT

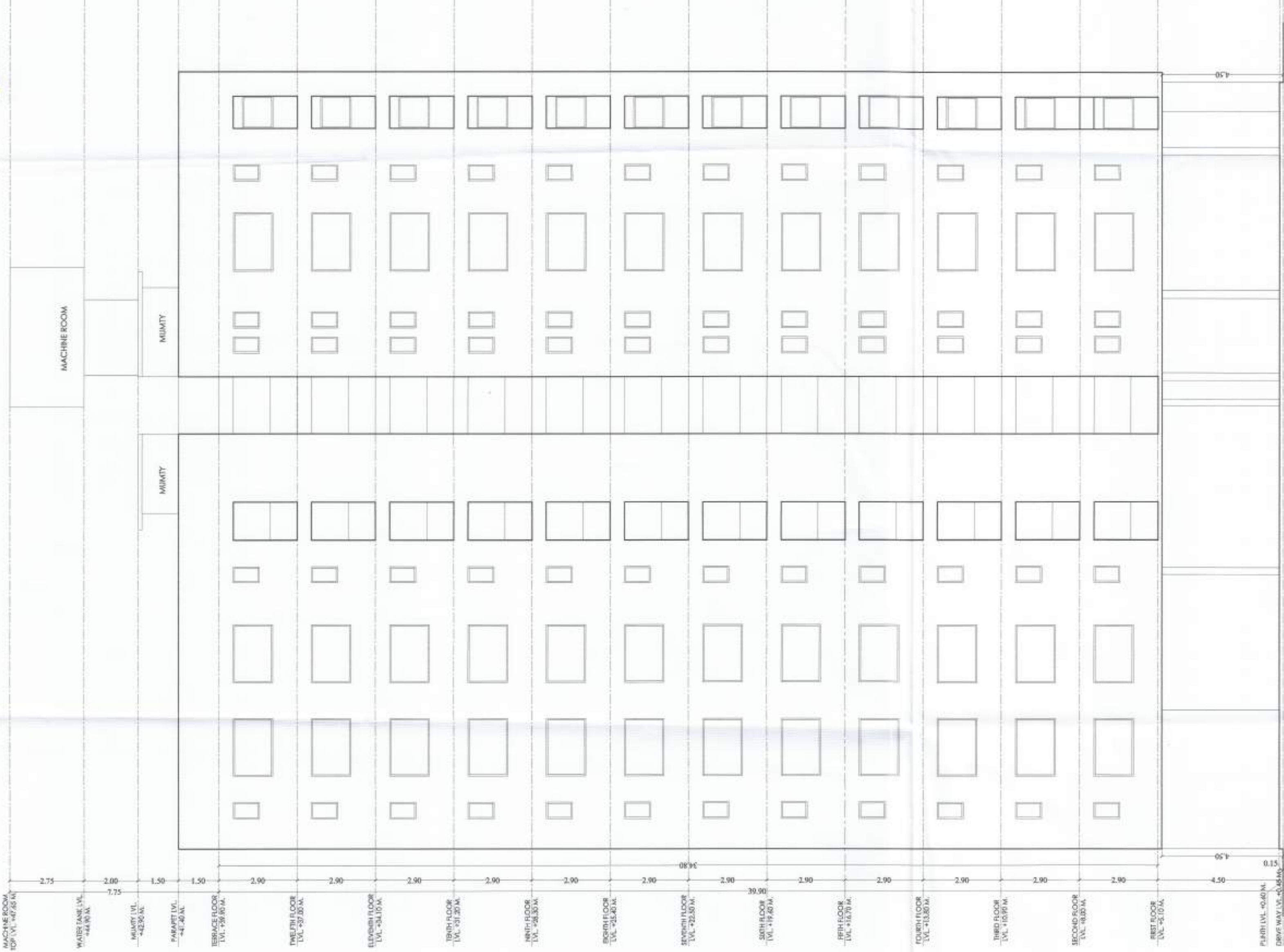
Mudesh Kishor Sharma
Architect
CA/2013/58750



SOUTH SIDE ELEVATION



NORTH SIDE ELEVATION



WEST SIDE ELEVATION



EAST SIDE ELEVATION

SECTIONS

इस मानचित्र को अनुमोदन किये की गति प्रस्तुत भूमि/प्लॉट/प्लॉट को प्रति स्थापित का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और न ही इसमें किसी प्रकार के स्थापित शब्दों/अक्षरों की प्रमाणित होगी।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE

"जहाँ किये गये अनुमोदन मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का अक्षर प्रतीक की ही होगा।"

सीर उज्ज्वल से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

यह मानचित्र पत्र सं. २२२२ दिनांक २२.०२.२०२४ के द्वारा जारी किये गये। नम में जहाँ कहीं भी प्लॉट/प्लॉट/प्लॉट की सी है।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken b B.P.C. in the meeting Dt. 22.02.2024

सहायक नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, हैरिदेज

उप नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, हैरिदेज

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक नगर निगम जयपुर, हैरिदेज

उपायुक्त (आयोजन) नगर निगम जयपुर, हैरिदेज

DRAWING TITLE :- SECTIONS

PROJECT TITLE :- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. D-40, BANIPARK, E- SCHEME, JAIPUR

SCALE :- 1:100 NORTH :-

OWNER

For STAR DEVELOPERS PARTNER

ARCHITECT Mukesh Nand Kishor Sharma Architect CA/2013/58750

